(9)

विलोपित

10 Rs COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 Rs COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

C. 616151

मानीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. ----/ ~~2004~~-05 निगरानी - 82-II/2005

R 82 II/2005

बाबूलाल पुत्र श्री कुन्नेलाल जाति महाजन
निवासी ग्राम विनेगा परगना व जिला श्योपुर
(म.प्र.) --- प्रार्थी

विरुद्ध

म.प्र. शासन ---- प्रतिप्रार्थी

श्री मुकेश भार्गव - एडवोकेट
द्वारा आज दि० 24/1/05 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

24 JAN 2005

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 8-10-2004 न्यायालय श्रीमान एम.के.खान आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959।

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है -

मुकेश भार्गव
24-1-05 एडवोकेट
ग्वालियर

1- यह कि, ग्राम विनेगा तेहसील विजयपुर व जिला श्योपुर में भूमि सर्वे क्रमांक 73 मिन। रकबा 4.076 हैक्टर स्थित है। उक्त भूमि को आगे के पदों में विवादित भूमि के नाम से उल्लिखित किया जावेगा।

24.1.05

2- यह कि उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा कई वर्षों से होने के कारण उक्त विवादित भूमियों का पट्टा भू-दानबोर्ड द्वारा विधिवत दिनांक 31-12-1979 को प्रदान किया गया उक्त विवादित भूमियों को आवेदक

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 82–दो/05 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–6–16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 55/98–99/अपील में पारित आदेश दिनांक 8–10–2004 से व्यथित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राजस्व निरीक्षक वृत्त विजयपुर द्वारा गाम विनेगा की भूमिसर्वे नंबर 73 मिन रकबा 4.076 का स्थल निरीक्षण कर अपर कलेक्टर, श्योपुर को प्रतिवेदन दिया कि उक्त भूमि खसरे में कुन्नीलाल पुत्र चुन्नीलाल महाजन (शिवहरे) के नाम भूदान भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है, कुन्नीलाल सेवा निवृत्त कृषि विस्तार अधिकारी हरीशंकर के पिता है । यह ग्राम विनेगा के ना तो निवासी हैं और न ही कृषि श्रमिक की परिभाषा में आते हैं तथा उक्त भूमि पर काबिज भी नहीं है । प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर ने प्रकरण निगरानी में लेकर दर्ज किया और आवेदक को दिनांक 20.3.95 को भूदान पटटा निरस्त करने का नोटिस जारी किया । जिसका जबाव आवेदक की ओर से पेश किया गया तदुपरांत विचारण न्यायालय ने आवेदक को जारी पट्टा निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । आयुक्त के इस आदेश से	

R- 82-[illegible]/05

जिला- छतरपुर

स्थान तथा दिनांक | कर्यवाही तथा आदेष | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक को भूदान यज्ञ अधिनियम के प्रावधानों के तहत भूमि प्राप्त करने की पात्रता नहीं आती है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वे उचित हैं और उन्हें स्थिर रखा जाना चाहिए ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण म0प्र0 भूदान यज्ञ अधिनिकयम, 1968 के तहत भूमि आवंटन से संबंधित है । आयुक्त के आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है । उन्होंने स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा ना तो अपर कलेक्टर न्यायालय में और ना ही उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही के दौरान 9 वर्ष ऐसा कोई तथ्य अथवा अभिलेख पेश किया गया है जिससे आवेदक को भूदान यज्ञ अधिनियम के प्रावधानों के तहत भूमि प्राप्त करने की पात्रता होती है । इस नयायालय के समक्ष भी आवेदक द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई याचिका एवं उसमें पारित आदेश के संबंध में आवेदक द्वारा कोई प्रमाण पेश नही किया गया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 82–दो/05 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जो आदेश पारित किये गये हैं उनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता ह । उभयपक्ष सूचित हो एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	